UPHR010064982016

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश SC/ST (P.A.) Act, हरदोई।

<u>विशेष परिवाद संख्या– 449/2016</u>

प्रहलाद प्रति लल्लन, आदि

अं०धारा– 323, 504, 506 IPC
& 3(1)(X) SC/ST (P.A.) Act
थाना– बिलग्राम, जिला हरदोई

<u>दिनांकः 11–08–2026</u>

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी निरन्तर अनुपस्थित। अभियुक्त लल्लन की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत, आज के लिए स्वीकृत। अभियुक्त उमेश के विरूद्ध वाद की कार्यवाही दिनांक 30.08.2025 को उपशमित उपधारित की जा चुकी है।

प्रस्तुत प्रकरण में आदेश दिनांकित 09.09.2010 के माध्यम से अभियुक्तगण लल्लन व उमेश को अं०धारा 323, 504, 506 भा०द०सं० व 3(1)(x) SC/ST (P.A.) Act विचारणार्थ आहूत किया गया है। परिवादी अन्तिम बार दिनांक 28.05.2014 को उपस्थित आया था। इस प्रकार परिवादी लगभग 12 वर्षो से अनुपस्थित चल रहा है। परिवाद कार्यवाही में पैरवी करने का दायित्व परिवादी का होता है, जिसका निर्वहन परिवादी द्वारा नही किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी प्रस्तुत परिवाद में अग्रेतर कार्यवाही का इच्छुक नही है। अतः परिवाद अदम पैरवी में निरस्त कर, अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

परिवाद अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है। अभियुक्त लल्लन को आक्षेपित अपराध अं०धारा 323, 504, 506 भा०द०सं० व 3(1)(x) SC/ST (P.A.) Act से उन्मोचित किया जाता है। बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार संग्रहीत अभिलेखागार हो।

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) Act,
हरदोई
ID– UP1574

Digitally signed by GYANENDRA TRIPATHI
Date: 2026.08.14 10:59:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court